न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मुत.(6ए)संख्या 35/24 तारीख रज्जू–25/10/24

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह मीना – प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्द शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा, निवासी महावीर नगर, नसिंया कालोनी, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी –अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

–: निर्णय :– दिनांक 19.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 25/10/2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 08/10/2024 को श्री सुरेन्द्र सिंह मीना प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा अंकित पचार, जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी के निर्देशनानुसार घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु महावीर नगर, नसिया कालोनी, बाबा मिष्ठान भण्डार के गोदाम पर घरेलू गैस सलेण्डर को व्यवसायिक कार्यो मे अवैध उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये तीन घरेलू गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलवी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी के स्वंय उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 08/10/2024 को श्री सुरेन्द्र सिंह मीना प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा अंकित पचार, जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी के निर्देशनानुसार घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु महावीर नगर, नसिया कालोनी, बाबा मिष्ठान भण्डार के गोदाम पर पहुँचे। मौके पर श्री गोविन्द शर्मा पुत्र श्री रामदयाल शर्मा निवासी महावीर नगर, नसिया कालोनी, गंगापुर सिटी उपस्थित मिले तथा श्री गोविन्द शर्मा की उपस्थिति में गोदाम की तलाशी लेने पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस के 3 गैस सिलेण्डर मय गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग लिया जाना पाया गया। मौके पर कुल 3 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग लिये जाने के कारण उक्त 3 गैस सिलेण्डर मौके पर जप्त किया जाकर मैसर्स जे.के. एन्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि श्री त्रिवेन्द पाल पुत्र मदन पाल को सुपुर्दगी के वास्ते सुरक्षित रखने एवं माननीय न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। जप्तशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुंसार है:–

क्र. स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त वजन	शुद्ध गैस
1	इण्डेन गैस	292477.T	23.180	15.8	7.380
2	इण्डेन गैस	496809.I	20.560	15.8	4.760
3	इण्डेन गैस	062328.I	16.180	15.6	0.580
	कुल गैस भार		59.920	47.2	12.720

साथ ही पैरोकार रसद ने प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 3 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत निवेदन किया ।

अप्रार्थी ने जबाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवदेन किया कि प्रार्थी इस प्रकार का व्यवसाय नहीं करता है। उक्त प्रकरण में प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जप्त

सिलेण्डर किस उपयोग में काम आ रहे थे, यह कहीं भी अंकित नहीं किया है। उक्त जप्तशुदा सिलेण्डर हलवाईयों के खाने बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। जप्तशुदा सिलेण्डरों का कोई भी गलत उपयोग नही किया जाता है। उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी स्वंय के निजी सिलेण्डर है। जो एक सिलेण्डर प्रार्थी के भाई मोहनलाल शर्मा के नाम से है तथा दो सिलेण्डर प्रार्थी स्वंय के नाम से है। प्रार्थी की झुठी शिकायत करते हुए निर्दोष फसाया गया है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध किय गयी कार्यवाही निरस्त करते हुए प्रार्थी के गोदाम से जप्त सिलेण्डरों को वापस दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

पैरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी की फर्म बाबा मिष्ठान भण्डार, महावीर नगर, नसिंया कालोनी, गंगापुर सिटी के गोदाम से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 08/10/2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 3 गैस सलेण्डर के अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक कार्यो में उपयोग किए जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा कहे गये कथन से होती हैं तथा अप्रार्थी स्वंय ने अपने बयान में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 3 गैस सिलेन्डर को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 3 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी